



e/; i ns'k 0; kol kf; d i jh{kk e.My] Hkksi ky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

**Pre-MCA - 2014 EXAMINATION
(FOR ADMISSION TO MCA COURSES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF MADHYA PRADESH)**

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	25.04.2014	
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	24.05.2014	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	25.05.2014	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	03.06.2014	
परीक्षा दिनांक व दिन	29.06.2014 (रविवार)	
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :-	रु. 600/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए :-	रु. 300/-
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 70/- देय होगा।		

I e; I kj.kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
29.06.2014 ,(रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

fVli .kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
5. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
6. मण्डल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (टी0ए0सी0) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी।

Pre M.C.A. - 2014

CONTENTS

CHAPTER – 1

Departmental rules For Admission in Master of Computer Applications (MCA) Course in Government, Institution declared autonomous by the State Government, Government aided institutions and Self-Financing Autonomous Institutions

S.No.	Contents	Rule No.	Page No. (In English Version)
1.	General	1.1	03
2.	Reservation	1.4.2	05
3.	Eligibility	1.4.3	07
4.	General Information of Admission	1.6.3	10
5.	The Sequence of Admission	1.7	10
6.	Seats available	Table-1	31-32

CHAPTER - 2

Departmental Rules For Admission in Master of Computer Applications (MCA) Course in Private Institution in M.P.

S.No.	Contents	Rule No.	Page No.
1.	Availability Of Seats	2.4.1	14
2.	Reservation Of Seats	2.4.2	15
3.	Eligibility	2.4.3	16
4.	Procedure of Admission	2.5	28
5.	The Sequence of Admission	2.7	19
6.	Seats available	Table-1	31-32

CHAPTER - 3

Instructions and Rules for Conduct of Test

S.No.	Contents	Rule No.	Page No.
1.	ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की 0; oLFkk	3.3	22
2.	ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	3.4	22
3.	निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था	3.8	25
4.	परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card)	3.10	26
5.	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	3.20	29
6.	क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)	3.23	30

CHAPTER-4

Tabel & PROFORMA Page No. 31-40

CHAPTER-5

SYLLABUS Page No. 41

v/; k; &1

**Rules for Admission to
Master of Computer Applications (MCA) Course in
Government, Institution declared autonomous by the State
Government, Government aided institutions and Self-Financing
Autonomous Institutions
Session 2014-15**

**RULES FOR ADMISSION TO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION RULES FOR ADMISSION TO
MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (MCA) COURSE IN A.I.C.T.E. APPROVED INSTITUTIONS IN
GOVERNMENT, INSTITUTION DECLARED AUTONOMOUS BY THE STATE GOVERNMENT,
GOVERNMENT AIDED INSTITUTIONS AND SELF-FINANCING AUTONOMOUS INSTITUTIONS IN
MADHYA PRADESH FOR THE SESSION-2014-2015**

1.1 General:

These rules shall be known as Rules for admission to Masters of Computer Application (MCA) course in Government autonomous institution declared by the State Government, Government aided institutions and Self-financing autonomous institutions in Madhya Pradesh, which are approved by All India Council For Technical Education, New Delhi.

1.2 DEFINITIONS:

In these rules, unless it is repugnant to the context,

- (i) 'AICTE' means All India Council For Technical Education, New Delhi a statutory body established by All India Council for Technical Education Act 1987;
- (ii) 'Common Entrance Test' means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counselling for the purpose of merit based admission to professional colleges or institutions through a single window procedure by the State Government or by any agency authorized by it;
- (iii) 'Course' means any course, the nomenclature of which is approved by the appropriate authority and for which a separate degree/diploma is awarded by any recognized University or Board or Institution (like B.E. Electrical, B.E. Mechanical, MCA, MBA, D Pharma, MBBS, BDS, etc.);
- (iv) 'DTE' means Director Technical Education, M.P., Bhopal;
- (v) 'RGPV' means Rajeev Gandhi Prodyogiki Vishwavidhyalaya, Bhopal, M.P.;
- (vi) 'Principal' means the Head of the institution;
- (vii) 'Competent Authority ' means an Authority authorized by State Government on this behalf (i.e. Director Technical Education, M.P. in this case);
- (viii) "Vyapam" means Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal;
- (ix) 'M.P.' means State of Madhya Pradesh as formed on 01-11-2000;

- (x) 'NRI' means Non-Resident Indian shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of Section 115 C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
- (xi) 'Category' means one of the four categories viz. 'Unreserved (UR)', 'Scheduled Caste (SC)', 'Scheduled Tribe (ST)' or 'Other Backward Classes (excluding creamy layer) (OBC)';
- (xii) 'Open Seats' means seats open to both Female & Male Candidates.
- (xiii) 'F' Seats means Female Candidates.
- (xiv) 'M.P. Seats' means seats reserved for the residents of State of Madhya Pradesh.
- (xv) 'NRI Seats' means the seats for the Non Resident Indians in various institutions;
- (xvi) 'AI Seats' means seats to be filled on All India basis.

1.3 **Applicability:**

These rules shall be applicable to Government, institution declared autonomous by the State Government, Government aided institutions and Self-financing autonomous institutions which are conducting **MCA** course as approved by the AICTE.

1.4 **Admission rules –**

In all professional institutions the procedure for admission shall be as under-

1.4.1 **Availability of seats –**

Numbers of seats available in MCA institutions in Madhya Pradesh are as follows:

S. No.	Type of Institutions	Percentage of Intake capacity
1	Government institution, Institutions declared autonomous by the State Government and Government Aided institutions and Self financing autonomous institutions. Only those institutions, which have got permission for NRI seats from AICTE, New Delhi.	90% Seats for MP domicile candidates 5% All India Seats 5% NRI Seats (All India Seats & NRI seats if not filled then converted into Seats for MP domicile candidates)
2	Government institution, Institutions declared autonomous by the State Government and Government Aided institutions and Self financing autonomous institutions. Only those institutions, which have not received permission for NRI seats from AICTE, New Delhi.	95% Seats for MP domicile candidates 5% All India Seats (All India Seats if not filled then converted into Seats for MP domicile candidates)

NOTE:

(1) Approved intake capacity available in various professional educational institutions shall be available on the website (www.dtempcounselling.org/www.mpachedu.org) of the Competent Authority conducting counselling.

(2) If permission is granted to any new institution or the number of seats in any existing institution are varied or permission to start second shift in existing institution is granted by the appropriate authority on or before **30th June** of that year, the same may be incorporated in counselling of that year, provided that the institution gets the affiliation from the respective University and have a permission from the State Government, however in case of any change in the number of sanctioned seats of the existing institutes, the condition to get re-affiliation from the respective university, shall not apply.

1.4.2 Reservation of seats:

16%, 20% and 14% of the seats of MP seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (excluding Creamy Layer) OBC categories respectively in Government institutions, institutions declared autonomous by the State government, Government Aided Institutions and Self financing autonomous institutions.

NOTE:

- (a) A candidate can claim reservation under only one of the various reserved categories.
- (b) A candidate, claiming reservation under a reserved category shall have to produce relevant certificate/certificates in proforma prescribed by the Government of MP at the time of verification of documents.

(A) Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) Category of Madhya Pradesh:

A candidate claiming to be either of SC or ST category of MP shall have to produce a certificate at the time of verification of documents from the competent authority in **Proforma - 1** as given in this rule book. (Vide MP Government GAD order No. F.7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 01.08.1996 and as per latest order issued by the Govt. of M.P.

(B) OBC category of Madhya Pradesh

A candidate claiming reservation under OBC (excluding creamy layer) category shall have to produce a certificate at the time of verification of documents issued by the competent authority in **Proforma - 2** as given in the rule book. (Vide MP Government GAD order No. F/7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 12.03.1997 and order no. ,F-7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 06.07.2000 and as per latest order issued by the Govt. of M.P. regarding creamy layer. The candidate should also bring an income certificate at the time of verification of documents regarding his/her family's income from the Competent Authority and stating that his/her parents do not come under creamy layer if OBC certificate is issued before 30th April, 2010.

(c) Reservation for Female candidates:

30% seats in each category viz. UR, SC, ST and OBC shall be reserved for female candidates. This reservation shall be a compartmentalized horizontal reservation.

Seats remaining vacant in female quota of a category shall be filled by converting such seats into Open Quota (OP) of the same category.

However if even after this conversion the Open Quota (OP) of that category does not get filled then these vacancies shall be filled by converting them into Open Quota (OP) of other categories as per the procedure laid down in Rule.

(D) Reservation for Persons with disabilities (Physically Handicapped Seats):

3% seats in each category viz. - UR, SC, ST and OBC shall be reserved for candidates with disability percentage of 40 or above and satisfying MP domicile requirements. This reservation shall be compartmentalized horizontal reservation.

Seats remaining vacant in this category shall be filled by converting such seats into Open Seats of the NIL (X) category. However, if even this conversion the Open Seats (OP) of that category does not get filled then these vacancies shall be filled by converting them in to Open Seats (OP) of other categories as per the procedure. Candidates claiming admission against these seats (Physically Handicapped Seats) shall be required to produce following certificates at the time of verification of documents:-

(i) Disability Certificate from the concerned District Medical Board;

AND

(ii) Eligibility Certificate for the course from the Superintendent, Government of India, Ministry of Labour, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Napier Town, Jabalpur.

(E) J&K Migrant's Seats:

One seat, on over and above basis, in each of the Institution is reserved for J&K migrants. The admission shall be given on the basis of merit as decided by the **Pre MCA 2014** test conducted by Vyapam, Bhopal. The candidate shall have to produce a certificate as given in **proforma-5** duly signed by competent authority at the time of verification of documents.

Sons/daughters of the employees of MP Government who have served in the State of Jammu & Kashmir for curbing insurgency are also covered under the J&K migrant. Such candidates should have passed their qualifying examination from the State of J&K. Candidates shall have to produce a certificate in **proforma-6** of this rule book at the time of verification of documents.

(F) J&K Resident's Seats:-

One seat each in all institutions has been reserved for residents of Jammu & Kashmir. The candidates seeking admission against these reserved seats shall be required to appear in Pre MCA 2014 test conducted by Vyapam, Bhopal and submit

appropriate certificate issued by the competent Authority at the time of verification of documents. These seats shall be considered under All India Seats.

(G) Reservation for NCC "C" Certificate candidates:-

One percent seats will be reserved for the NCC "C" Certificate pass candidates of Madhya Pradesh in MCA Course of Govt./ Govt. Aided Institutions.

(H) NRI Seats:

Institutions those get permission from AICTE, New Delhi for 5% NRI Seats of total intake capacity. Admission against these seats will be carried out as per the regulation published in MP Government Gazette dated 19th May, 2011 for admission against NRI seats "Admission (Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011."

1.4.3 ELIGIBILITY FOR ADMISSION

1) The Candidates should be an Indian National.

2) Educational Qualifications:

MCA COURSE:

A candidate seeking admission to MCA Course should be a Graduate with at least 50% marks and 45% marks in case of SC, ST, OBC (excluding Creamy Layer) category of Madhya Pradesh in aggregate of any UGC/AICTE approved Indian University or from a foreign University recognized by Association of Indian Universities (AIU) or institute recognized by the concerned University as equivalent thereto. Recognized Bachelor's degree of minimum 3 Yrs duration with Mathematics at (10+2) level or at Graduate level.

NOTE:

Candidates in the Final year of above degree examination can also appear in the PreMCA-2014 test on provisional basis. But such a candidate shall have to produce the original certificate of having passed/mark sheet of the final year of the degree examination at the time of admission taken in the allotted institute; however, candidate shall have to fill all the entries of qualifying examination at the time of registration.

3) Domicile Requirements:

No candidate shall be selected for admission against the MP domicile seats unless;

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रारूप-3 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये उपरोक्त पत्र में वर्णित निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी-

- 1) आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो (मूक, बधिर, अन्ध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)

- 2) आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो।
- 3) आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरन्तर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो।
- 4) आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/ निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो।
परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1) अथवा (2) अथवा (3) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।
- 5) आवेदक केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्षों से सेवारत शासकीय सेवक हो।
- 6) आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।
- 7) आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर माहमहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।
- 8) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं, को मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा जिसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की गई हो।

EXPLANATION 1:

GUARDIAN: Guardian in relation to a candidate means any person who in the opinion of the District Magistrate concerned, has after the death of his/her father and mother been in actual charge of or control over the candidate or his/her property or both, at the time of application since the death of his/her father and mother. The certificate of guardianship from the appropriate court shall have to be produced as an evidence of guardianship. If the father of a candidate is dead but the mother is alive, she shall be deemed to be natural guardian of the candidate and no other person shall be recognized as guardian. Son or daughter shall also include stepson or stepdaughter.

EXPLANATION 2: Adopted sons/daughters

If an applicant, whether belonging to unreserved or reserved category, is desirous of seeking admission on the basis of being adopted Son/Daughter of a parent, he/she has to produce a satisfactory valid adoption certificate executed at-least five years before the last date of submission of application for admission. The adoption certificate should be verified from the school or college records to the effect that the applicant has attended or from a certificate of any examination passed by the candidate during last five years. The applicant, claiming admission under any reserved category, against this facility should belong to that reserved category before adoption. An applicant originally belonging to any other categories than Schedule cast or schedule tribe adopted by a Schedule cast or schedule tribe parent would not qualify for this facility or benefits thereof.

1.4.4 Manner of Admission – Through a common entrance test conducted by an agency authorized by the State or Central Government. Authorized agency shall prepare and notify merit/waiting list on the basis of marks obtained by candidates in common entrance test.

1.5 Procedure of Admission

1.5.1 Online Offcampus Admission Procedure :

In case the decision to conduct online off campus counseling for a particular course is taken by the State Government, then the competent authority declared by the State Government for this purpose, shall finalize the detailed programme and shall make it available on its website declaring its procedure, process of admission and deferent cut off dates. Procedure of Online Off Campus Counselling will be followed as per the regulation published in MP Government Gazette dated 31st July, 2009 (As ammended) for Online Off Campus Counselling.

1.5.2 Admission against Non Resident Indian Seats :

1.5.2.1 Institutions those get permission from AICTE, New Delhi for 5% NRI Seats of total intake capacity. Admission against these seats will be carried out as per the regulation published in MP Government Gazette dated 19th May, 2011 for admission against NRI seats "Admission (Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011."

1.5.2.2 Conversion of vacant non - resident Indian seats :

Vacant non-resident Indian seats i.e. unfilled non-resident Indian seats shall be merged into M P domiciled candidate seats by competent authority, and these seats shall be filled by competent authority as per the procedure for filling M P domiciled candidate seats.

1.6 Conducting of Common Entrance Test

A Common Entrance Test shall be conducted by M.P. Vyavasayik Pareeksha Mandal (VYAPAM), Bhopal.

1.6.1 MCA COURSES:

An entrance test Pre-MCA-2014, shall be conducted by VYAPAM for selection of candidates for admission to MCA course.

1.6.2 Common Merit Lists

1.6.2.1 Vyavasayik Pareeksha Mandal (VYAPAM), Bhopal shall prepare and notify common merit lists of Pre- MCA on the basis of marks obtained by candidates in Common Entrance Test. Vyavasayik Pareeksha Mandal (VYAPAM), Bhopal also provide common merit list of Unreserved Candidates as well as common merit lists of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes(Excluding Creamy Layer) candidates belonging to Madhya Pradesh. Admission shall be done by the Counselling Authority through Counselling on the basis of common merit lists provided by the Vyapam.

1.6.2.2 Inter se merit of candidates getting equal marks in the Common Entrance Test shall be decided by giving preference to the person, who is older in age.

1.6.3 General Information of admission:

1.6.3.1 Admission in MCA against M.P. domiciled candidate seats, All India Seats, J&K Resident/ Migrant Seats shall be done through Counselling on the basis of separate common merit lists provided by the Vyapam of Pre-MCA - 2014 respectively.

1.6.3.2 Admission shall be done through Counselling on the basis of the common ranking list declared by VYAPAM. The programme of Counselling shall be published in various news papers and shall also be available on website of competent authority/Director Technical Education, M.P. Bhopal i.e. www.dtempcounselling.org/ www.mpachedu.org. No separate call letters shall be sent to the candidates.

1.6.3.3 Original Documents:

During the Counselling process the original documents presented by the candidates shall be verified with originals and original documents will be returned back to the candidates. However candidates need not to submit such original documents in the admitted institutions.

1.6.3.4 Transfer of institution in first year of the course shall not be permitted.

1.6.3.5 Admissions in First year shall be completed on or before the last date declared by the competent Authority.

1.7 The sequence of admission shall be as under:

1.7.1 Admission on NRI seats shall be done by the Competent Authority through Centralised Counselling for those institutions that have got permission from Appropriate Authority to fill 5% of the sanctioned intake by NRI candidates only. These seats shall be filled as per the procedure and schedule notified by competent authority and any remaining vacant seats shall be filled by centralised counselling after merging them into MP domiciled seats.

1.7.2 In the counselling of general pool, first candidates of reserved categories shall be called in the following order, so that vacant reserved seats can be mutually converted :-

Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Scheduled Tribes/Scheduled Castes.

After conducting counselling of reserved category candidates, as per above order, vacant seats, if any, shall be merged into the unreserved seats and then counselling for unreserved seats shall be conducted.

1.7.3 Candidates of reserved category who find place in the merit list of unreserved category will also be considered in the allotment of seats under unreserved category. They will be given seat of their preference from reserved or unreserved category in which they are getting better choice. Such candidates of reserved category who are allotted seats from unreserved category shall be counted in the unreserved category.

1.7.4 If the seats remains vacant after the first round of counselling held on the basis of merit of common entrance test then the decision regarding holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of marks obtained in the qualifying

examination shall be taken by the competent authority keeping in view the number of vacant seats for a particular course and approximate number of candidates willing for admission. In the counselling of qualifying examination all the available seats shall be presumed to be under unreserved seats and the allotment shall be made accordingly on the basis of a joint merit list of candidates of all categories.

1.7.5 If, after aforesaid round of counselling seats still remains vacant, they shall be filled as mentioned in the Admission Rules-2008 (As ammended) and/or counselling procedure declared by the Competent Authority.

1.8 Cancellation of Admission:

(1) If at any stage it is found that a candidate has got admission in any institution on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found that the admission was given to the candidate due to some mistake or oversight, the admission granted to such a candidate shall be liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of his/her studies by the Principal of the institution or by Competent Authority.

(2) If a candidate gets his/her admission cancelled prior to 7 (seven) days before the last date of admission as declared by competent Authority, then Rs. 1000/- will be deducted from the part of tuition fee deposited by the candidate with counselling authority and any tuition fee / other fee deposited by the candidate with the institution shall be refunded back to the candidate, after deducting 10% from the deposited amount. However, counselling fee is non refundable.

If admission is cancelled after the date as mentioned above then, no Tution fee and other fee (except Caution Money) shall be refunded back..

(3) Vacancy arising (in particular class/category/compartment) due to cancellation of admission or due to non reporting of candidates by the stipulated date (as declared by the Competent Authority) in a particular Institution, shall be considered in the counselling in the following manner:-

During the counselling, if seats are available, in that particular course, vacancy/vacancies arising due to above reasons, shall be added directly to existing vacancy/vacancies and shall be available for allotment.

1.9 TUITION AND OTHER FEE-

Tuition fees and other fees shall be payable by the candidates as per order of Govt. of Madhya Pradesh as may be applicable from time to time.

1.10 Interepretation:

The State Government of Madhya Pradesh shall be the final authority for deciding any matter in respect of policy regarding selection of candidates for admission. If any question arises relating to the interpretation of these rules for admission, the decision of the State Government of MP shall be final and binding.

1.11 MODIFICATION TO RULES/PROCEDURES:

The State Government of Madhya Pradesh reserves the right to amend any provision/ rule/procedure for admission in the public interest and any modification so made shall be binding.

1.12 JURISDICTION:

In case of any dispute the jurisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in Madhya Pradesh only.

A copy of this Rule book shall be available on the website of the Directorate of Technical Education Madhya Pradesh i.e. www.dtempcounselling.org/ www.mpachedu.org.

v/; k; &2

**Rules for Admission to
Master of Computer Applications (MCA) Course in Private
Institution in M.P.
Session 2014-15**

RULES FOR ADMISSION TO MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (MCA) COURSE IN A.I.C.T.E. APPROVED PRIVATE INSTITUTIONS IN MP AS PER THE PROVISIONS MADE IN MADHYA PRADESH NIJI VYAVASAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) ADHINIYAM, 2007 NO. 21. AND THE RULES PUBLISHED IN MADHYA PRADESH GAZETTE DATED 15 APRIL 2008 FOR THE SESSION-2014-2015

2.1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called Admission Rules, 2008.
- (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2.2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires –

- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007);
- (b) "Appropriate Authority" means Authority as defined in clause (a) of section 3 of the Act;
- (c) "Admissions and Fee Regulatory Committee" means the Committee constituted by the State Government under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional educational institution;
- (d) "AICTE" means All India Council of Technical Education, statutory body established by All India Council of Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);
- (e) "Common Entrance Test" means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counselling for the purpose of merit based admission to professional colleges or institutions through a single window procedure by the State Government or by any agency authorized by it;
- (f) "Course" means any course, the nomenclature of which is approved by the appropriate authority and for which a separate degree/diploma is awarded by any recognized University or Board or Institution (like B.E. Electrical, B.E. Mechanical, MCA, MBA, D Pharma, MBBS, BDS, etc.).
- (g) "Competent Authority" means any authority as authorized by the State Government in this behalf (i.e. Director Technical Education, M.P. in this case);

- (h) "Fee" means all fees including tuition fee and development charges;
- (i) "NRI" means Non-resident Indian shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of Section 115 C of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (j) "Principal" means Head of institution;
- (k) "Private Unaided Professional educational Institution" means professional educational institutions which is not receiving recurring financial aid or grant-in-aid from any State or Central Government and which is not established or maintained by the Central Government, the State Government or any Public body;
- (l) "Professional Educational Institution" means a college or a school or an institute by whatever name called, imparting professional education, affiliated to state university including a private university established or incorporated by an Act of the State Legislature or Constituent unit of a deemed to be university under section 3 of University Grant Commission Act, 1956 (3 of 1956), and approved or recognized by the competent statutory body regulating professional education;
- (m) "Qualifying Examination" means the examination of the minimum qualification, passing of which entitles one to seek admission into the relevant Professional Courses as prescribed in these rules;
- (n) "Vyapam" means Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal;

The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Other Abbreviations Used In This Rule Book Are:-

- (i) "DTE" means Director Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal;
- (ii) "RGPV" means Rajiv Gandhi Prodyogiki Vishvavidhyalaya, Madhya Pradesh, Bhopal;
- (iii) "General Pool" means after provision of 5% seats to NRI candidates remaining 95% seats shall be called General Pool Seats [in which reservation for SC, ST & OBC (Excluding Creamy layer) will be available for M.P. Domicile candidates as per govt. notification]

2.3. Applicability:

These rules shall be applicable to private unaided professional institutions which are conducting **MCA** courses as approved by the AICTE.

2.4. Admission rules -

In all professional institutions the procedure for admission shall be as under-

2.4.1 Availability of seats –

Numbers of seats available in various MCA institutions in Madhya Pradesh are as follows:

Type of Institutions	Percentage of Intake capacity
Private Institutions. Only those institutions, which have got permission for NRI seats from AICTE, New Delhi.	95% General Pool Seats 5% NRI Seats (NRI seats if not filled then converted into General Pool Seats)
Private Institutions.. Only those institutions, which have not received permission for NRI seats from AICTE, New Delhi.	100% General Pool Seats

Note :

(1) Approved intake capacity available in various professional educational institutions shall be available on the website (www.dtempcounselling.org/www.mpachedu.org) of the Competent Authority conducting counselling.

(2) If permission is granted to any new institution or the number of seats in any existing institution are varied or permission to start second shift in existing institution is granted by the appropriate authority on or before **30th June** of that year, the same may be incorporated in counselling of that year, provided that the institution gets the affiliation from the respective University and have a permission from the State Government, however in case of any change in the number of sanctioned seats of the existing institutes, the condition to get re-affiliation from the respective university, shall not apply.

2.4.2 Allocation/ Reservation of seats –

In every institution 16%, 20% and 14% seats of General pool (85% of total intake) shall be reserved for the candidates belonging to SC, ST and OBC categories (excluding creamy layer) respectively as notified by the state government in this regard.

NOTE:

- (a) A candidate can claim reservation under only one of the various reserved categories.
- (b) A candidate, claiming reservation under a reserved category shall have to produce relevant certificate/ certificates in proforma prescribed by the Government of MP at the time of counselling..

(A) Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) Category of Madhya Pradesh:

A candidate claiming to be either of SC or ST category of MP shall have to produce a certificate from the competent authority in Proforma - 2 as given in this rule book. (Vide MP Government GAD order No. F.7-2/96 आ.प्र./ 1, भोपाल, दिनांक 01-08-1996 and as per latest order issued by the Govt. of M.P.

(B) OBC category of Madhya Pradesh

A candidate claiming reservation under OBC (excluding creamy layer) category shall have to produce a certificate issued by the competent authority in Proforma 3 as given in the rule book.(

Vide MP Government GAD order No. F/7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 12.03.1997 and order no. ,F-7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 06.07.2000 and as per latest order issued by the Govt. of M.P. regarding creamy layer. The candidate should also bring an income certificate regarding his/her family's income from the Competent Authority and stating that his/her parents do not come under creamy layer if OBC certificate is issued before 30th April, 2011.

(C) J&K Migrant's Seats:

One seat, on over and above basis, in each of the Institution is reserved for J&K migrants. The admission shall be given on the basis of merit as decided by the **Pre MCA 2014** test conducted by Vyapam, Bhopal. The candidate shall have to produce a certificate as given in proforma-5 duly signed by competent authority.

Sons/daughters of the employees of MP Government who have served in the State of Jammu & Kashmir for curbing insurgency are also covered under the J&K migrant. Such candidates should have passed their qualifying examination from the State of J&K. Candidates shall have to produce a certificate in proforma-6 of this rule book at the time of Counselling.

(D) J&K Resident's Seats:-

One seat each in all institutions has been reserved for residents of Jammu & Kashmir. The candidates seeking admission against these reserved seats shall be required to appear in Pre MCA 2014 test conducted by Vyapam, Bhopal and submit appropriate certificate issued by the competent Authority. These seats shall be considered under General Pool.

(E) NRI Seats:

Institutions those get permission from AICTE, New Delhi for 5% NRI Seats of total intake capacity. Admission against these seats will be carried out as per the regulation published in MP Government Gazette dated 19th May, 2011 for admission against NRI seats "Admission (Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011."

2.4.3 Eligibility for admission –

- 1) **The Candidates should be an Indian National.**
- 2) **Educational Qualifications:**

MCA COURSE:

A candidate seeking admission to MCA Course should be a Graduate with at least 50% marks and 45% marks in case of SC, ST, OBC (excluding Creamy Layer) category of Madhya Pradesh in aggregate of any UGC/AICTE approved Indian University or from a foreign University recognized by Association of Indian Universities (AIU) or institute recognized by the concerned University as equivalent thereto. Recognized Bachelor's degree of minimum 3 Yrs duration with Mathematics at (10+2) level or at Graduate level.level.

NOTE:

Candidates in the Final year of above degree examination can also appear in the PreMCA-2014 test on provisional basis. But such a candidate shall have to produce the original certificate of having passed/mark sheet of the final year of the degree examination at the time of admission taken in

the allotted institute; however, candidate shall have to fill all the entries of qualifying examination at the time of registration.

3) Domicile Requirements:

No candidate belonging to SC, ST & OBC (Excluding Creamy Layer) category shall be selected for admission against the seats reserved for them unless

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रारूप-7 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये उपरोक्त पत्र में वर्णित निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी-

- 1) आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो (मूक, बधिर, अन्ध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)
- 2) आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो।
- 3) आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरन्तर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो।
- 4) आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो।
परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1) अथवा (2) अथवा (3) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।
- 5) आवेदक केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्षों से सेवारत शासकीय सेवक हो।
- 6) आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।
- 7) आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर माहमहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।
- 8) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं, को मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा जिसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की गई हो।

EXPLANATION 1:

GUARDIAN: Guardian in relation to a candidate means any person who in the opinion of the District Magistrate concerned, has after the death of his/her father and mother been in actual charge of or control over the candidate or his/her property or both, at the time of application since the death of his/her father and mother. The certificate of guardianship from the appropriate court shall have to be produced as an evidence of guardianship. If the father of a candidate is dead but the mother is alive, she shall be deemed to be natural guardian of the candidate and no other person shall be recognized as guardian. Son or daughter shall also include stepson or stepdaughter.

EXPLANATION 2:

Adopted sons/daughters

If an applicant, whether belonging to unreserved or reserved category, is desirous of seeking admission on the basis of being adopted Son/Daughter of a parent, he/she has to produce a satisfactory valid adoption certificate executed at-least five years before the last date of submission of application for admission. The adoption certificate should be verified from the school or college records to the effect that the applicant has attended or from a certificate of any examination passed by the candidate during last five years.

The applicant, claiming admission under any reserved category, against this facility should belong to that reserved category before adoption. An applicant originally belonging to any other categories than Schedule cast or schedule tribe adopted by a Schedule cast or schedule tribe parent would not qualify for this facility or benefits thereof.

2.4.4 Manner of Admission –

Through a Common Entrance Test conducted M.P. Vyavasayik Pareeksha Mandal (VYAPAM), Bhopal which shall prepare and notify merit/waiting list on the basis of marks obtained by candidates in Common Entrance Test.

2.5 Procedure of Admission

2.5.1 Online Offcampus Admission Procedure :

In case the decision to conduct online off campus counseling for a particular course is taken by the State Government, then the competent authority declared by the State Government for this purpose, shall finalize the detailed programme and shall make it available on its website declaring its procedure, process of admission and deferent cut off dates. Procedure of Online off Campus Counselling will be followed as per the regulation published in MP Government Gazette dated 31st July, 2009 (As ammended) for Online off Campus Counselling.

2.5.2 Admission against Non Resident Indian Seats:

2.5.2.1 Institutions those get permission from AICTE, New Delhi for 5% NRI Seats of total intake capacity. Admission against these seats will be carried out as per the regulation published in MP Government Gazette dated 15th May, 2011 for admission against NRI seats "Admission (Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011."

2.5.2.2 Conversion of vacant non - resident Indian seats:

Vacant non-resident Indian seats i.e. unfilled non-resident Indian seats shall be merged into General Pool seats by competent authority, and these seats shall be filled by competent authority as per the procedure for filling General Pool seats.

2.6 Conducting of Common Entrance Test

A Common Entrance Test shall be conducted by M.P. Vyavasayik Pareeksha Mandal (VYAPAM), Bhopal.

2.6.1 MCA COURSES:

An entrance test Pre-MCA-2014, shall be conducted by VYAPAM for selection of candidates for admission to MCA course.

2.6.2 Common Merit Lists

2.6.2.1 Vyavasayik Pareeksha Mandal (VYAPAM), Bhopal shall prepare and notify common merit lists of Pre- MCA on the basis of marks obtained by candidates in Common Entrance Test. Vyavasayik Pareeksha Mandal (VYAPAM), Bhopal also provide common merit list of Unreserved Candidates as well as common merit lists of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Excluding Creamy Layer) candidates belonging to M.P. Admission shall be done by the Counselling Authority through Counselling on the basis of common merit lists provided by the Vyapam.

2.6.2.2 Inter se merit of candidates getting equal marks in the Common Entrance Test shall be decided by giving preference to the person, who is older in age.

2.6.3 General Information of admission:

2.6.3.1 Admission in MCA against General Pool seats, J&K Resident/ Migrant Seats shall be done through Counselling on the basis of separate common merit lists provided by the Vyapam of Pre-MCA - 2014 respectively.

2.6.3.2 Admission shall be done through Counselling on the basis of the common ranking list declared by VYAPAM. The programme of Counselling shall be published in various news papers and shall also be available on website of competent authority/Director Technical Education, M.P. Bhopal i.e. www.dtempcounselling.org/ www.mpachedu.org. No separate call letters shall be sent to the candidates.

2.6.3.3 Original Documents:

During the Counselling process the original documents presented by the candidates shall be verified with originals and original documents will be returned back to the candidates. However candidates need not to submit such original documents in the admitted institutions.

2.6.3.4 Transfer of institution in first year of the course shall not be permitted.

2.6.3.5 Admissions in First year shall be completed on or before the last date declared by the competent Authority.

2.7 The sequence of admission shall be as under:

2.7.1 Admission on NRI seats shall be done by the Competent Authority through Centralised Counselling for those institutions that have got permission from Appropriate Authority to fill 5% of the sanctioned intake by NRI candidates only. These seats shall be filled as per the procedure and schedule notified by competent authority and any remaining vacant seats shall be filled by centralised counselling after merging them into general pool seats.

2.7.2 In the counselling of general pool, first candidates of reserved categories shall be called in the following order, so that vacant reserved seats can be mutually converted :-

Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Scheduled Tribes/Scheduled Castes.

After conducting counselling of reserved category candidates, as per above order, vacant seats, if any, shall be merged into the unreserved seats and then counselling for unreserved seats shall be conducted.

2.7.3 Candidates of reserved category who find place in the merit list of unreserved category will also be considered in the allotment of seats under unreserved category. They will be given seat of

their preference from reserved or unreserved category in which they are getting better choice. Such candidates of reserved category who are allotted seats from unreserved category shall be counted in the unreserved category.

2.7.4 If the seats remains vacant after the first round of counselling held on the basis of merit of common entrance test then the decision regarding holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of marks obtained in the qualifying examination shall be taken by the competent authority keeping in view the number of vacant seats for a particular course and approximate number of candidates willing for admission. In the counselling of qualifying examination all the available seats shall be presumed to be under unreserved seats and the allotment shall be made accordingly on the basis of a joint merit list of candidates of all categories.

2.7.5 If, after aforesaid round of counselling seats still remains vacant, they shall be filled as mentioned in the Admission Rules-2008 (As ammended) and/or counselling procedure declared by the Competent Authority.

2.8 Cancellation of Admission:

(1) If at any stage it is found that a candidate has got admission in any institution on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found that the admission was given to the candidate due to some mistake or oversight, the admission granted to such a candidate shall be liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of his/her studies by the Principal of the institution or by Competent Authority.

(2) If a candidate gets his/her admission cancelled prior to 7 (seven) days before the last date of admission as declared by the competent Authority, then Rs. 1000/- will be deducted from the part of tuition fee deposited by the candidate with counselling authority and any tuition fee/other fee deposited by the candidate with the institution shall be refunded back to the candidate, after deducting 10% from the deposited amount. However, counselling fee is non refundable.

If admission is cancelled after the date as mentioned above, no Tution fee and other fee (except Caution Money) shall be refunded back.

(3) Vacancy arising (in particular class/category/compartment) due to cancellation of admission or due to non reporting of candidates by the stipulated date (as declared by the Competent Authority) in a particular Institution, shall be considered in the counselling in the following manner:-

During the counselling, if seats are available, in that particular course, vacancy/vacancies arising due to above reasons, shall be added directly to existing vacancy/vacancies and shall be available for allotment.

2.9 Tuition and other Fees:

Tuition and other fees shall be as prescribed by the admission and fees regulatory committee.

2.10 Modification to rules/procedures:

The State Government of Madhya Pradesh reserved the rights to amend any provision/ rules/ procedure for admission after due consultation from admission and fee regulatory committee to ensure fair and transparent admission procedure and any modification so made shall be binding.

2.11 A candidate aggrieved with any contravention on the part of the Agency or any contravention of the provisions of the Act could make an application to the Committee pinpointing the cause of action and alleged lapse in following the procedure or provisions of the Act.

2.12 Interpretation:

If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to State Government whose decision thereon shall be final.

2.13 Jurisdiction:

In case of any dispute the jurisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in State of Madhya Pradesh only.

A copy of this Rule book shall be available on the website of the Directorate of Technical Education Madhya Pradesh i.e. i.e. www.dtempcounselling.org / www.mptechedu.org.

v/; k; & 3
e/; i ns' k 0; kol kf; d i jh{kk e.My] Hkksi ky
i jh{kk l pkyu fu; e , oa funz k

egRoi w kZ %&

3-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

3-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

3-3 vkWykbU vkonu&i = Hkj us dh 0; oLFkk %&

- (1) ocl kbM www.vyapam.nic.in vFkok www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (2) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित शुल्क Pre-M.C.A-2014 हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़ी जाति के लिए 600/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए 300/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रू. 70/- क्योस्क शुल्क देय होगा।
- (3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3-4 vkWykbU vkonu&i = ds l kf l ayXu fd; s tkus okys nLrkostka dk fooj .k %&

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

- (अ) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।
- (ब) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।
- (स) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

3-5 वकील/कानून के लिए आवेदन पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक

अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाइन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा। विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाइन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

3-6 वकील/कानून के लिए आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (ii) फोटोग्राफ वकील/कानून के लिए आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा वकील/कानून के लिए आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाइन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3-7 वकील/कानून के लिए आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

3-7-1 ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25.04.2014 से दिनांक 24.05.2014 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। वकील/कानून के लिए आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

fooj.k rFkk Øekad vfuok;L : i l s vfdR fd;k tkuk gkxkA buds vHkko es vkonu i =
Lohdkj ugh gkxkA ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं
सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

3-7-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :- (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर
द्वारा

bà/juV ds ek/; e l s vkkWykbLu vkonu OkeZ Hkj us dh fof/k %

3-7-2-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत Pre-M.C.A-2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **Instructions** तथा परीक्षा **Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

3-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर **jpg** फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (**Attach**) करें।

3-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

3-7-2-4 ØfMV@mfcV dkMZ ds ek/; e l s ijh{k 'kY'd dk HkxrkU%&

आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-7-2-5 bà/juV cfdæ ds ek/; e l s ijh{k 'kY'd dk HkxrkU %&

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-7-3 ,e-i h- vkkWykbLu fd; kLd ds ek/; e l s vkonu OkeZ Hkj us dh fof/k %&

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा,

जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

ukv/%& ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3-8 fu/kkfjr frffk ea tek fd, x, vkWuykbu vkonu i = ea l d kks/ku dh 0; oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

3-8-1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

3-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु. 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

3-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र

क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

3-9 $\forall \text{konu} = \text{dk fujLrhdj.k} \%$

एम0पी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3-10 $\text{ijh}\{\text{kk i}\text{D}\text{s}\text{k}\&\text{i} = (\text{Test Admit Card}) :-$

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो-भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

$\text{i}\text{D}\text{s}\text{k}\&\text{i} = \text{i}\text{klr djus dh i}\text{f}\text{0}; \text{k}\%$

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

$\text{uk}\text{V}\&$ प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3-11 $\text{ijh}\{\text{kk 'kgj o ijh}\{\text{kk l e}; \%$ यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी

1. इंदौर	2. जबलपुर	3. भोपाल	4. ग्वालियर
----------	-----------	----------	-------------

अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10:00 से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश-पत्र पर अंकित होगी।

3-12 ijh{kk 'k/d %&

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रु. 600/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी (मध्यप्रदेश के मूल निवासी)/ निःशक्तजन के लिये रु. 300/- निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 70/- अतिरिक्त देय होगा।

3-13 ijh{kk gky ea ys tkus grq vko' ; d l kexh %&

प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ज़ायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

3-14 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

3.15 लिखित परीक्षा का विवरण :-

स.क्रं.	दिनांक	प्रश्न पत्र	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	29.06.2014 (रविवार)	प्रश्न पत्र	02 घंटे	प्रातः 10:00 से दोपहर 12:15 बजे	100

इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

3.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

1/1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

2/2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

3/3 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

4/4 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

5/5 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

6/6 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।

7/7 प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

8/8 नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

9/9 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

10/10 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

1/2 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

1/2 परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त होने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

1/2 परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा प्रक्रिया में अथवा परीक्षा के डाटा में किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ या किसी भी व्यक्ति से मिलकर परीक्षा की प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त किये जाने का प्रयास परिलक्षित होने पर अथवा अभ्यर्थियों का वह कृत्य जिससे परीक्षा की अनुल्लंघनियता (Sanctity) प्रभावित होती हो, परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

1/2 परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

3.17 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3-18 = (v i w k l i t u) m l d k f u j l r h d j . k , o a c n y s e a f n ; k x ; k v a d % &

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- 1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- 2- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- 3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- 4- कोई भी विकल्प सही न हो।
- 5- यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- 6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

3.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 7 एवं 8 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। बिन्दु क्रमांक 3.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

3-20 i j h { k k i f j . k k e d k i d k ' k u % &

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय-1 से 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरान्त परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

3-21 v d l p h % &

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3-22 e - i z 0 ; k o l k f ; d i j h { k k e M y d k d k ; l i d s k i j h { k k d k l p k y u , o a m l d k i f j . k k e ? k k s " k r d j u k e k = g k s k % &

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

3-23 U; kf; d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

v/; k; & 4
Vcy@ik: i

Table-1

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH		
TENTATIVE SEATS IN MCA COURSE FOR THE SESSION 2014-2015		
S.No.	Name of Institution	Total Seats
Autonomous & Aided Institutions		
1	Engineering College Jabalpur	60
2	MITS Gwalior	60
3	SATI Vidisha	120
Government Institutions		
4	Govt. Geetanjali PG Girls College Bhopal	60
	Total	300
Self Finance & University Institutions		
1	B.U. IT, Barkatullah University, Bhopal	60
2	Dept. of Computer Science and application, Vikram VV Ujjain	30
3	Rustamji Inst. Of Tech BSF Acdy. Tekanpur	40*
4	School of C.S. DAVV Indore	60
5	School of Computer Application Jiwaji VV, Gwalior	40
6	SGSITS Indore	60
7	UICSA, RDVV, Jabalpur	40
8	UIT, RGPV Bhopal	60
	Total	390
	* 50% Seats for BSF Wards only.	
PRIVATE COLLEGES		
1	Acropolis Inst. of Tech. & Res.,(BE) Indore	60
2	Babulal Tarabai Institute of Res. & Tech.(B.E.), Sagar	60
3	Bansal Institute of Sc. & Tech, (BE)Bhopal	60
4	Bhabha Engg. Research Inst. (MCA) Bhopal	60
5	Bhartia Vidhya Mandir College of . Mgmt.Edu. (MCA) Gwalior	60
6	Central India Inst. of Tech.(BE) Indore	60
7	GICTS College of Prof. Edu, (MCA) Gwalior	60
8	Guru Ramdas Khalsa Inst Of Sc & Tech (MCA) Jabalpur	60
9	Gyan Ganga College Of Tech (B.E.) Jabalpur	60
10	Gyan Ganga Institute of Tech. & Sc., (BE) Jabalpur	60
11	Gyanodaya Institute of Prof. Studies, Neemuch	60
12	Hitkarni Clg of Engg & Tech (MCA) Jabalpur	60
13	Indore Inst. Of Computer Application, Indore	120
14	Institute of Engg. and Science, (B.E.) IPS Academy, Indore	60
15	ITM GROUP OF INSTITUTIONS (Inst. of Info. Tech. & Mgmt., (BE)),Gwalior	60
16	ITM GROUP OF INSTITUTIONS (Inst Of Tech & Mgmt -(B.E.)), Gwalior	60
17	Jawarlal Inst Of Tech (MCA) (Borawan) Khargone	45
18	Lakshmi Narain College of Technology ,(MCA) Bhopal	240
19	Mahakal Inst. Of Tech.& Sc.(B.E.), Ujjain	60
20	Maharaja Ranjit Singh College of Prof. Sc., (MCA)(Indo Friend Foundation Group of Institutions),Indore	60

21	Maharana Pratap Clg Of Tech (MCA) Gwalior	60
22	Maharishi Centre for Edu. Excellence , (MCA) Bhopal	30
23	Mandsaur Inst of Tech, (BE)Mandsaur	30
24	Mathura Devi Institute of Technology and Management,(BE) Indore	60
25	Medicaps Institute of Tech. & Mgmt.(MCA), Indore	90
26	Medicaps Institute of Tech. & Mgmt.,(MBA) Indore	60
27	Nagaji Institute of Tech. & Mgmt.(BE) Gwalior	60
28	NRI Inst. of Information Sc. & Tech.,(BE) Bhopal	60
29	Oriental College of Mgmt., (MBA)Bhopal	60
30	Oriental Inst. of Sc. & Tech, (MCA) Bhopal	120
31	Oriental Inst. of Sc. & Tech. (BE), Bhopal	60
32	Oriental College Of Tech,(BE) Bhopal	60
33	PATEL GROUP OF INSTITUTIONS (Patel College Of Sc.& Tech.,(BE)), Bhopal	60
34	Pioneer Inst. Of Prof. Studies, (MCA)Indore	60
35	Rewa Inst. of Tech., (BE) Rewa	60
36	RKDF College Of Engg. (BE) Bhopal	60
37	RKDF Inst. of Sc. & Tech ,(MCA). Bhopal	120
38	RKDF Instt. of Sci. & Tech ,(B.E.) Bhopal	60
39	RKDF School of Engg. (BE) Indore	60
40	Sagar Institute Of Res. & Tech.,(BE) Bhopal	60
41	Sam College Of Engg. & Tech. , (BE) Bhopal	60
42	Sanghvi Inst. of Mgmt. & Sc. (MCA), Indore	60
43	School of Computers & Elex. IPS Academy, (MCA)Indore	300
44	SCOPE College of Engg. (B.E.) Bhopal	60
45	Shree Sai Inst Of Tech, (MCA) Ratlam	45
46	Shri Dadaji Instt. Of Tech. & Sc., (BE) Khandwa	60
47	Shri Ram Inst Of Tech. (MCA) , Jabalpur	120
48	Shri Ram Inst. Of Tech. (B.E.) , Jabalpur	60
49	Shri Ram Inst. Of Mgmt. (MBA) Jabalpur	60
50	Shri RGP Gujrati Pr. Inst. (MCA)Indore	120
51	Shri Vaishnav Inst. of Mgmt.,(MCA) Indore	120
52	Shri Vaishnav Inst. of Tech.& Sc.,(BE) Indore	60
53	St. Aloysius Inst. Of Tech., Jabalpur	60
54	Technocrates Institute of Technology and Science (BE), Bhopal	60
55	Technocrates Institute of Technology -Excellence (BE), Bhopal	60
56	Technocrates Institute of Technology, (BE) Bhopal	60
57	Vindhya Institute of Tech. & Sc., (BE) Satna	60
	TOTAL	4140
	GRAND TOTAL	4830

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक..... प्रमाण
पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति
का नाम..... निवासी ग्राम/नगर.....
..... वि.खं..... तहसील..... जिला.....
संभाग..... के.....जाति/ जनजाति का/की सदस्य है और इस
जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह
जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में
अनुक्रमांक.....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....
..... पिता/पति का नाम.....अनुसूचित
जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल
वार्षिक आय रूपए.....है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

- टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी
ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला.....मध्य प्रदेश के
निवासी हैं, जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम
जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84,
दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन,
दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है
और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला.....
..... संभाग..... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3
में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8
मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी..... के
परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर
चुका है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार
 टप्पा/तहसील..... जिला.....
 प्र.क्र वर्ष..... दिनांक.....
 स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का
 पासपोर्ट साईज का
 फोटो लगाया जाये जो
 प्राधिकृत अधिकारी
 द्वारा सत्यापित
 किया जाये

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.....
 पिता/पति..... निवासी.....
 तहसील..... जिला..... (मध्यप्रदेश).
 राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये
 प्रभावशील ज्ञाप दिनांक..... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक
 की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक...
दिनांकके अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार की
 पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है:-

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की
 जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।
 (आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
 तहसील.....
 जिला.....

*लागू न होने पर काट दें।

- यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेगा।

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
जो द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
..... वर्ष.....
..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के
लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....
का/की पुत्र/पुत्री है, जो..... योजना के तहत मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत
पुर्नव्यवस्थापन योजना (Resettlement scheme) है।

स्थान :.....
दिनांक:.....

हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
(कार्यालय सील)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer
TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that S/o or D/o
..... R/o
..... Tehsil
District..... A/P..... Pin
..... is registered from No. R/Card
No..... At S. No.
..... of his/her father ration card issued from this zone.

Seal of Tehshildar

Zonal Officer / Tehshildar

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 आत्मज/आत्मजा/श्रीजो
 द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)
 वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)में
 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री..... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता
 श्री/श्रीमती..... मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/ कर्मचारी है
 जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक
 से दिनांक तक (स्थान का नाम) में
 रही है ।

स्थान
 दिनांक

हस्ताक्षर
 (सील)

ik: i&7

(देखें नियम 3.18 एवं 3.19)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

स्थान

दिनांक

(देखें नियम 3.18 एवं 3.19)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक

v/; k; &5

MCA-2014 SYLLABUS

Total - 100 ques.

ALGEBRA	Solution of simultaneous equations. Binomial Theorem, logarithmic and exponential series, Determinants and its properties, Matrices, addition and multiplication of matrices, computation of inverse of matrix.
CO-ORDINATE GEOMETRY	Circle, Tangent, orthogonal circles, coaxial system of circles, parabola, ellipse and hyperbola, their equations in standard form and simple properties.
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS	Differentiation of algebraic, exponential and logarithmic functions, application to simple problems, maxima and minima, partial differentiation of function of two variables, Integration by parts, definite integrals and their properties, area, volume and surfaces (of simple curves), Trapezoidal rule, Simpson's rule.
DIFFERENTIAL AND DIFFERENCE EQUATIONS	Linear differential equations of first order, Difference equations of first order.
STATISTICS	Theory of Probability, averages, dispersion and standard deviation, Coefficient of variation, skewness and co-efficient of skewness coefficient of correlation, interpolation, index numbers their importance, time series, fitting of curves, Method of least squares, binominal Poisson and Normal distributions.
COMPUTER SCIENCE	Basic concepts of computer organization, number systems, Elementary programming in Basic.
LOGICAL AND NUMERICAL ABILITY	Simple questions to test numerical, analytical and logical abilities of the candidate.

Information =

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्री0 एम0सी0ए0-2014 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय-1 से 5 तक में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :.....

पदनाम :.....

सील :.....
